बालाघाट में मैंगनीज शोधक संयंत्र का लगाया जाना

2384. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में मैंगनीज ओर आफ इंडिया द्वारा एक मैंगनीज शोधक संयंत्र लगाए जाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रतिवर्ष 60,000 टन फैरो-मैंगनीज का उत्पादन करने के बारे में मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के प्रस्ताव से है। देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी पर्याप्त मांग न होने के कारण इस परियोजना को प्रास्थगित रखा गया है।

Security Paper Mill, Hoshangabad

2385. SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) when the Security Paper Mill at Hoshangabad was modernised;

(b) what was the output of security paper before and after its modernisation;

(c) how much amount was spent in foreign exchange for its modernisation;

(d) whether security paper is still being imported; and

(e) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) The modernisation of Security Paper Mill, Hoshangabad was completed on 5th August, 1983.

(b)

	Year	M. Tons
Production before modernisation . . .	1982-83	1917·80
Production during modernisation . . .	1983-84	3251·17
Production after modernisation . . .	1984-85	3643·63

(c) £6.08 Million Pound Sterling.

(d) Yes, Sir.

(e) Since quantity of paper manufactured in the Security Paper Mill Hoshangabad does not meet the full requirements of the two Printing Presses, viz., Bank Note Press, Dewas and Currency Note Press, Nasik, the Government has perforce to import the paper from abroad in order to meet the gap.

टैरिफ मद सं० 68 के संबंध में अहमदाबाद इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से प्राप्त आवेदन पत्र

2386. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैरिफ मद सं० 68 के संबंध में अहमदाबाद इन्जीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अहमदाबाद इन्जीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोशिएशन से एक आवदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें लघु क्षेत्र में निर्मित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ मद 68 के अधीन आने वाले माल के संबध में सम्पूर्ण छूट सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में प्राप्त हुए सभी अभ्यावदनों पर विचार किये जाने के बाद, छूट सीमा को नही बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तथापि, किसी एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक परन्तु 30 लाख रुपये से अनधिक के मूल्य की निकासियों के संबंध में 8 मई, 1985 से एक रियायती शुल्क दर लागू की गयी है, जो अन्यथा देय शुल्क दर का 25 प्रतिशत है।

आयरन एंड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इंडिया से अभ्यावेदन

2387. **श्री मंजी इर्शादबेग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इण्डिया से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शिप-ब्रेकिंग कार्यकलापों के कारण प्राप्त होने वाली पुन: ढेलित-योग्य स्क्रैप सामग्री के संबंध में उत्पादन शुल्क देनदारी के मुद्दे पर आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इण्डिया, बम्बई से एक अभ्यावेदन सरकार को जनवरी, 1985 में प्राप्त हुआ था।

(ख) मामले की जांच की गयी है, परन्तु इसे मामल में उत्पादन-शुल्क से राहत दिये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना सभव नही पाया गया है।

टैरिफ मद सं० 68-कक के सबध में मोरवी चैम्बर आफ कामर्स से आवेदनपत्र

2388. **श्री मंजी इर्शादबेग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैरिफ मद सं० 68-कक के संबंध म० मोरवी चैम्बर आफ कामर्स से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को मैसर्स मोरवी चम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से टरिफ मद 68 के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ में टरिफ मद 68--कक नाम का कोई टैरिफ मद नहीं है)।

(ख) मैसर्स मोरवी चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने लघु क्षेत्र में उत्पादित उत्पादन शुल्क टैरिफ मद 68 के अधीन आने वाले माल के संबंध मे दिनांक 17-3-85 की अधिसूचना स० 77/85-के० उ० शु० के अधीन उपबन्धित पूर्ण छूट-सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये तक करने का अनुरोध किया है।

सरकार को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन शुल्क टैरिफ को टैरिफ मद 68 के अधीन आने वाले माल के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक परन्तु 30 लाख रुपये से अधिक की निकासियों के संबंध में 8 मई, 1985 से शुल्क की रियायती दर की व्यवस्था की गयी है, जो अन्यथा देय शुल्क-दर का 25 प्रतिशत है।